अनरल ता. दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 3/7/18 को पेश हो

20-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कुण्डल में पेश हुई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद आधिपत्य एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को आराजी विवादित से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला ख० नं० 1428, 1429 तथा 1417 में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो एवं मूल वाद के संलग्न हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कुण्डल के समक्ष आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।